

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

सवाईराम v/s श्रीमती भंवरी एवं अन्य
G.LMS No 2025/330 180/2025

10/09/2024 परमावली पेश हुई उभयपक्षकार अधिवक्ता
उपस्थित अधीनस्थ न्यायालय ले प्रल टिकट
अप्राप्त इतजाटे चेफ्ट मिलल तदिनाके 4.11.2024
को पेश की म

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

28/10/25 परमावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता एवं
उक्त निगरानी प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थी अधि. ने
आगे नहीं चलता मिसल लल की हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया,
वाहता हूँ। जो स्वीकार किया जाय है प्रार्थी अधि. मभ

Identified
by me -
[Signature]

[Signature]
अधि. अभावा



प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अक्षर राजीनामा प्रस्तुत
कर कथन किया है उभयपक्षकारान
के मध्य लोक अडालत की भावना
से राजीनामा हो गया है और
अब निगरानी को आगे चलाना नहीं
चाहते हैं तथा प्रकार का जरिद
विज्ञा खारिज फिर जाने का
निवेदन किया है अपार्थी अधि.
स्वयं उपस्थित हुए एवं उन्होने
लिखित सहमति उदान की व अधिवक्ता
में हस्ताक्षर किए और सहमति उदान
की। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाता है और
निगरानी को जरिद विज्ञा खारिज
किया जाता है आदेश सुनाया गया।
परमावली कुसल सुमार होकर वामिल
व लकमील होकर दाखिल फपर हो।
नम्बर से कम हो म

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर